नैनीताल जागरण

नैनीताल, 9 फरवरी, 2010
www.jagran.com

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल रंग लायी

दो दिन में 36 हजार मुकदमों का निस्तारण

नैनीतालः यदि कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। इस बात को सिद्ध कर दिखाया है उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने। प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी 13 जनपदों में 6 एवं 7 फरवरी को आयोजित प्रथम मेगा लोक अदालत में कुल 36,323 मुकदमों का निस्तारण किया गया। दो दिनों के भीतर इतनी अधिक संख्या में वादों के निस्तारण को उत्तराखंड राज्य गठन के बाद रिकार्ड उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

जनपद वार निस्तारित वादों का विवरण

प्राधिकरणों के नाम	निस्तारित वाद	प्रतिकर	अर्थदंड धनराशि
1.अल्मोड़ा	155	625000	163150
2.बागेश्वर	64	—	60950
3.चमोली	434	1991867	288500
4.चम्पावत	130	—	47265
5.देहरादून	25369	3753700	1424185
6.हरिद्वार	5463	3721000	852520
7.नैनीताल	387	252000	321190
8.पौड़ी गढ़वाल	146	3761000	57320
9.पिथौरागढ़	243	890000	136365
10.रूद्रप्रयाग	131	456625	43200
11.टिहरी गढ़वाल	294	3768000	90400
12.उधमसिंहनगर	3321	10424000	522840
13.उत्तरकाशी	186	1231073	142300
योग-	36323	4087426	5150185

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में प्रदेश के 13 जनपदों में एक साथ लोक अदालत लगाकर लघु फौजदारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, आबकारी एवं पारिवारिक वाद, राजस्व एवं दीवानी वादों समेत वैवाहिक वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। लोक अदालत में वाहन दुर्घटनाओं के मामलों का निस्तारण कर चार करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया गया। इसके अलावा लघु फौजदारी वादों तथा आबकारी से जुड़े मामलों में 50 लाख से अधिक अर्थदंड वसूला गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के इस प्रयास का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर ने प्रसन्नता जताई है। प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने भी न्यायिक एवं प्राधिकरण अधिकारियों की सराहना करते हुए भविष्य में वृहद स्तर पर लोक अदालतों लगाकर सुलह समझौते के आधार पर वादों के निस्तारण करने पर जोर दिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रशांत जोशी ने बताया कि प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा भविष्य में बैंकों से सम्बंधित वाद, चेक अनादरण समेत विचाराधीन कैदियों के लिए भी भविष्य में विशेष लोक अदालतों के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं।